संख्या-977 /77-4-17-16एन./04

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सुश्री विनीता मिश्रा,
एकाउन्टेंट जनरल,
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग कार्यालय महालेखाकार,
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ :दिनांक 11 जुलाई, 2017

विषयः **उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट, 1976 के अधीन संचालित नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एथारिटी का सी0ए0जी0 से आडिट कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ए.जी (ई एण्ड आरएसए)/यू.पी./ईएस-I/प्राग/39 दिनांक 13.04.2017, पत्र संख्या-ए.जी. (ई एण्ड आरएसए)/यू.पी./ईएस-I/प्राग/2017-18/48 दिनांक 21.04.2017 एवं पत्र संख्या-महालेखाकार (आ. एवं रा.ले.प.)/उ.प्र./ईएस-I/प्रोग्राम/72 दिनांक 18.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त तात्कालिक प्रभाव से नौएडा/ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम का आडिट सी0ए0जी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-977 (1)/77-4-17-तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मोनिका रानी)
विशेष सचिव।